न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 73/2024

रजू दिनांक:– 14.06.2024

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

छाजूलाल पुत्र पून्या जाति मीना निवासी गज्जूपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादी

दावा बाबत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति:– श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय

दिनांक:– 30.08.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गज्जूपुरा की आराजी ख0न0 19/0.06, 31/0.28, 138/0.34, ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 1333/0.75, 1334/0.15 है0 मे वादी हिस्सा 1/2 का तथा 1/2 हिस्से का भाई बुधराम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी का विरासत नामांतकरण खोलते समय वादी का बोलता नाम छजूलाल के नाम से सहवन से नामांतकरण खोल दिया जो गलत है। उक्त नाम को हजफ कर छजूलाल के स्थान पर छाजूलाल दर्ज किया जावे। तथा ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 8/0.07 है0 मे वादी बहिस्सा 1/24 का खातेदार कश्तकार दर्ज है। उक्त आराजी मे विरासत नामांतकरण खोलते समय वादी का बोलता नाम छाज्या के नाम से सहवन से नामांतकरण खोल दिया जो गलत है। उक्त नाम को हजफ कर छाज्या के स्थान पर छाजूलाल दर्ज किया जावे।

बाका दिनांक 10.06.2024 को प्रतिवादी न0 1 द्वारा वादी से सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती का दावा पेश करने की कहने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः ग्राम गज्जूपुरा की आराजी ख0न0 19/0.06, 31/0.28 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 मे मे वादी का नाम छजूलाल के स्थान पर छाजूलाल, ख0न0 138/0.34 है0 मे वादी का नाम छाज्या के स्थान पर छाजूलाल, ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 1333/0.75, 1334/0.15 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 है0 मे वादी का नाम छाज्या के स्थान पर छाजूलाल, ख0न0 8 रकबा 0.07 है0 मे वादी का नाम छाज्या के स्थान पर छाजूलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को प्रदान किये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे खातेदार छाज्या, छजूलाल, छाजूलाल पि0 पून्या एक की व्यक्ति है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम छजूलाल के स्थान पर छाजूलाल तथा छाज्या के स्थान पर छाजूलाल दर्ज किया जाना उचित है।

.0:– 73/2024 उनवानः– छाजूलाल बनाम तहसीलदार

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी हिस्सा 1/2 का तथा 1/2 हिस्से का भाई बुधराम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी का विरासत नामांतकरण खोलते समय वादी का बोलता नाम छजूलाल के नाम से सहवन से नामांतकरण खोल दिया जो गलत है। उक्त नाम को हजफ कर छजूलाल के स्थान पर छाजूलाल दर्ज किया जावे। तथा ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 8/0.07 है0 मे वादी बहिस्सा 1/24 का खातेदार कश्तकार दर्ज है। उक्त आराजी मे विरासत नामांतकरण खोलते समय वादी का बोलता नाम छाज्या के नाम से सहवन से नामांतकरण खोल दिया जो गलत है। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम छजूलाल के स्थान पर छाजूलाल तथा छाज्या के स्थान पर छाजूलाल दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब/रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे खातेदार छाज्या, छजूलाल, छाजूलाल पि0 पून्या एक की व्यक्ति है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम छजूलाल के स्थान पर छाजूलाल तथा छाज्या के स्थान पर छाजूलाल दर्ज किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम गज्जूपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख0न0 19, 31 मे छजूलाल पुत्र पून्या हिस्सा 1/2, बुधराम पुत्र पून्या हिस्सा 1/2 के, ख0न0 138 मे छाज्या पुत्र पून्या हिस्सा 1/2, बधुराम पुत्र पून्या हिस्सा 1/2 के, ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 1333, 1334 मे छाज्या पुत्र पून्या हिस्सा 1/2, बुधराम पुत्र पून्या हिस्सा 1/2 के, ख0न0 8 मे छाज्या पुत्र पून्या हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 8 के बकिया हिस्से मे जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा अनुसार सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी के आधार कार्ड न0 2294 4076 6869, आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड न0 ए.बी.वाई.पी.एम 3502 सी., पी.पी.ओ. मे वादी का नाम छाजूलाल पुत्र पून्या का अंकन है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत जबाब व रिपोर्ट मे वादी का नाम शुद्व करने की अभिशंषा की है। अतः वादी का दावा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है, कि ग्राम गज्जूपुरा की ख0न0 19, 31 मे छजूलाल पुत्र पून्या हिस्सा 1/2 के स्थान पर छाजूलाल पुत्र पून्या हिस्सा 1/2, ख0न0 138 मे छाज्या पुत्र पून्या हिस्सा 1/2 के स्थान पर छाजूलाल पुत्र पून्या हिस्सा 1/2, ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 1333, 1334 मे छाज्या पुत्र पून्या हिस्सा 1/2 के स्थान पर छाजूलाल पुत्र पून्या हिस्सा 1/2 ख0न0 8 मे छाज्या पुत्र पून्या हिस्सा 1/24 के स्थान पर छाजूलाल पुत्र पून्या हिस्सा 1/24 दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी